आखिरी जांच: 10 अक्टूबर 2026 · Social Welfare, Tribal Affairs, Women & Child Development Department, Government of Mizoram

Ruangphurh (Assistance for Transportation of Bodies of Deceased Persons within Mizoram)

रुआंगफुर्ह मिज़ोरम सरकार की मदद है, जिसमें किसी मृत व्यक्ति का शव ले जाने के लिए किराये पर लिए गए एक वाहन का किराया वाहन की कीमत के हिसाब से तय दरों पर लौटाया जाता है।

क्या मिल सकता है

सरकार एक वाहन का किराया तय दरों पर लौटाती है। न्यूनतम किराया और प्रति किमी दर: 7 लाख रुपये से कम कीमत के वाहन के लिए 1500 और 25 रुपये, 7 लाख से 12 लाख से कम के लिए 1800 और 30 रुपये, 12 लाख से 17 लाख से कम के लिए 2000 और 35 रुपये। 17 लाख रुपये और उससे ऊपर के वाहन शामिल नहीं हैं।

किसके लिए है

मिज़ोरम में वह व्यक्ति जिसने किसी मृतक का शव कम से कम 20 किमी ले जाने के लिए वाहन किराये पर लिया और जो किराया लौटाने के लिए आवेदन करता है।

मुख्य शर्तें

- शव उठाने की जगह से, या मिज़ोरम पहुंचने की जगह (जैसे हवाई अड्डे) से, दफ़नाने की जगह तक की दूरी 20 किमी से कम नहीं होनी चाहिए।
- सिर्फ़ एक वाहन का किराया शामिल है, और 17 लाख रुपये या उससे अधिक कीमत के वाहन शामिल नहीं हैं।
- आवेदन एक महीने के भीतर देना होता है, और अधूरे दस्तावेज़ स्वीकार नहीं किए जाते।
- रिपोर्ट फ़ॉर्म पर चिकित्सा अधिकारी, ग्राम या स्थानीय परिषद के अध्यक्ष, या वाईएमए, वाईएलए, वाईसीए या एमटीपी की शाखा के अध्यक्ष का प्रमाणन चाहिए, फिर ज़िला समाज कल्याण अधिकारी या उपायुक्त उसकी जांच करते हैं।

दस्तावेज़

- रिपोर्ट फ़ॉर्म (अनुलग्नक-I), पूरा भरा हुआ और प्रमाणित
- मृत्यु प्रमाणपत्र, या अस्पताल में मृत्यु होने पर अस्पताल के चिकित्सा अधिकारी की मृत्यु की घोषणा
- अस्पताल के बाहर मृत्यु होने पर रुआंगफुर्ह फ़ॉर्म में दी गई घोषणा
- वाहन किराये की मूल रसीद
- मृतक के आधार कार्ड या वोटर आईडी की फ़ोटोकॉपी, और मृतक नाबालिग हो तो माता-पिता या नज़दीकी रिश्तेदार की

आवेदन कैसे करें

1. आवेदन फ़ॉर्म विभाग की वेबसाइट socialwelfare.mizoram.gov.in से डाउनलोड करें, या चालतलांग स्थित निदेशालय, उपायुक्त कार्यालय या ज़िला समाज कल्याण कार्यालय से लें।
2. रिपोर्ट फ़ॉर्म भरें और उस पर चिकित्सा अधिकारी, ग्राम या स्थानीय परिषद के अध्यक्ष, या वाईएमए, वाईएलए, वाईसीए या एमटीपी की शाखा के अध्यक्ष का प्रमाणन करवाएं।
3. सभी दस्तावेज़ों के साथ आवेदन एक महीने के भीतर समाज कल्याण एवं जनजातीय मामले के निदेशक को या अपने ज़िला समाज कल्याण अधिकारी को दें।
4. यदि आप उस ज़िले में नहीं रहते जहां शव ले जाया गया, तो आवेदन जांच के लिए अपने ही ज़िले में दे सकते हैं।
5. ज़िला समाज कल्याण अधिकारी या उपायुक्त फ़ॉर्म की जांच करके उसे निदेशक को भेजते हैं।

स्थिति

चालू

आधिकारिक स्रोत: https://socialwelfare.mizoram.gov.in/page/ruangphurh
आधिकारिक PDF: https://socialwelfare.mizoram.gov.in/uploads/attachments/2024/09/3a430ae5eda931f567aa98fe773c7f7f/ruangphurh-guidelines-notification-ruang-phurh-report-form.pdf
Labh Lo पेज: https://labhlo.in/hi/schemes/mizoram/mz-ruangphurh/

Labh Lo सारांश। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है।
Labh Lo एक स्वतंत्र जानकारी देने वाला मंच है। यह PDF एक सारांश है। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है। पात्रता और मंज़ूरी का अंतिम फैसला सरकारी विभाग करता है। आवेदन से पहले आधिकारिक स्रोत जांचें।